न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः– दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
299 / 2023 प्रा0 पत्र	18.08.2023	22-11-2024

उनवान

1. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी स्व0 श्री रामसहाय विजयवर्गीय, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री रामसहाय विजयवर्गीय, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री राकेश पुत्र स्व0 श्री रामसहाय विजयवर्गीय, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।

–– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती मुक्ता पत्नी श्री मनीष गुजराती, निवासी 32, सिंधी कॉलोनी, शाहपुरा।
2. श्री महेश कुमार पुत्र श्री जगदीश सोमानी, निवासी बंरूदनी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री जैठमल पुत्र श्री पीरूलाल जैन, निवासी ईरास (सुवाणा) तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

–– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री महावीर प्रसाद जांगीड़ उपस्थित।

2–विपक्षीगण संख्या 01 व 02 अनुपस्थित।

3– अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 03 पवन कुमार पंवार अनुपस्थित।

4– विपक्षी संख्या 04 पैराकार सरकार उपस्थित।

–:: **निर्णय** ::–

दिनांकः– 22-11-2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी सरहद ग्राम महुआकलां, पटवार हल्का महुआकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1761 है। जो राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि गै.मु. रास्ता 1675 से होकर आगे आराजी नम्बर 1760 के उत्तर एवं आराजी नम्बर 2390 / 1 के नये नम्बर 3790 / 2390 व आराजी नम्बर3788 / 2390 के दक्षिण के मध्य मेड के सहारे – सहारे होकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1761 मे आते जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। उक्त रास्तेसे होकर ही अपने कृषि उपकरणों संज–बैल, ट्रेक्टर सहित आ–जा रहे है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से आये दिन रास्तें में अवरोध उत्पन्न होता रहता है व दिनांक 31.05.2023 को भी आने–जाने में बाधा उत्पन्न की।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त वादग्रस्त रास्तें की प्रार्थीगण को आत्यांतिक आवश्यकता है एवं उक्त वादग्रस्त रास्तें के अलावा प्रार्थीगण को उनकी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर आराजी नम्बर 1760 के उत्तर एवं आराजी नम्बर 2390/1 के नये नम्बर 3790/2390 व आराजी नम्बर 3788/2390 के दक्षिण मेड के सहारे–सहारे नजरी नक्शे अनुसार 220 फीट लम्बा व 30 फीट चौडाई का नया रास्ता कायम करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251–ए की उपधारा (1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम महुआकलां, पटवार हल्का महुआकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1761 में आने जाने हेतु जो कि एकमात्र रास्ता जो कि गै.मु. रास्ता 1675 से होकर आगे आराजी नम्बर 1760 के उत्तर एवं आराजी नम्बर 2390/1 के नये नम्बर 3790/2390 व आराजी नम्बर3788/2390 के दक्षिण के मध्य मेड के सहारे – सहारे होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी नम्बर 1761 मे आने जाने हेतु 220 फीट लम्बा 30 फीट चौडाई का नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रजिस्टर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विपक्षीगण संख्या 01 व 02 अनुपस्थित, विपक्षी संख्या 03 के अधिवक्ता अनुपस्थित। तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 478 दिनांक 28.08.2024 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। मौके पर सभी पक्षकारान को बुलाकर सहमति बनाने का प्रयास किया गया किन्तु पक्षकार सहमत नहीं हुये। मौके पर विपक्षीगण में से विपक्षीगण संख्या 01 मुक्ता गुजराती के पति श्री मनीष गुजराती व वादी की तरफ से प्रेमदेवी के पुत्र श्री राधेश्याम विजयवर्गीय उपस्थित हुए। वादी खातेदार के प्रतिनिधी ने अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 1761 से 1765 में जाने हेतु रास्ता आराजी नम्बर 1760, 3789/2390, 3790/2390 की मेड पर आराजी नम्बर 1761 से लगता हुआ 16.50 फीट चौडा रास्ता चाहते है जो डामर सडक आराजी नम्बर 2391 से लगती हुई है, मौके पर आराजी नम्बर 3789/2390, 3790/2390, 3788/2390 विभाजित नहीं है।

विपक्षी 01 के पति श्री मनीष गुजराती ने बताया कि प्रार्थी अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता आराजी नम्बर 1773, 3104/1772 के खातेदारों से लेवें उक्त आराजी भी रास्ता आराजी नम्बर 1774 से लगती हुई है। (मौके पर आराजी नम्बर 1774 कच्चा रास्ता है) प्रतिवादी ने बताया कि वादी द्वारा चाहे गये रास्ते भूमि में वर्षा का पानी आता है।

रेकार्ड अनुसार कम दूरी का रास्ता आराजी नम्बर 1760 के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी मेड से बनता है जिसका क्षैत्रफल 02 बिस्वा 12 बिस्वांसी बनता है (0.0328 हैक्टेयर),आराजी नम्बर 1760 के खातेदार को मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचित किया पर उपस्थित नहीं हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी ने कच्चे रास्ते से लगती हुई आराजी नम्बर 1773 व 3104/1772 के खातेदार को वाद में प्रतिवादी नहीं बनाया है। नजरी नक्शा संलग्न किया गया है। जिसमें प्रस्तावित रास्तें को लाल स्याही से अंकित किया गया है। विपक्षी संख्या 03 की आराजी नम्बर 1760 में से 2 गट्टा (16.5 फीट) चोडा रास्ता देने पर 0.0328 हैक्टयर भूमि रास्तें हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 4,57,430 /– रूपये की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षैत्रफल की 30,007 /– डी0एल0सी0 की प्रति संलग्न की है। विपक्षीगण को जारी नोटिस की प्रति संलग्न है।

विपक्षी संख्या 03 उपस्थित नहीं है। इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम महुआकलां, पटवार हल्का महुआकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1761 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 03 की आराजी नम्बर 1760 में से 0.0328 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हुत स्वीकृत किया जाता है। उक्त आराजी की वर्तमान डी. एल.सी.दर राशि– 4,57,430 /– रूपये की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षैत्रफल की 30,007 /– रूपये बनती है जो विपक्षी संख्या 03 की आराजी नम्बर 1760 जो विपक्षी संख्या 03 को देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 03 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22-11-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा